संख्या-7/2024/36 /005-78-01099-55-2022

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक, उद्योग
कानपुर, उ0प्र0

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ : दिनांक 8 फरवरी,2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत पात्र स्टार्टअप इकाइयों को सीड कैपिटल/विपणन सहायता के भुगतान हेतु धनराशि रू0 46.50 (रूपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी 9064(2023-24), दिनांक 28-12-2023, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक **''2852-उद्योग, 07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग, 202 इलेक्ट्रानिक्स, 14-उ0प्र0 स्टार्ट अप नीति-2020 का कार्यान्वयन, 27-सब्सिडी मद" में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 252.75 लाख (रूपये दो करोड़ बावन लाख पिछत्तर हजार मात्र) में से धनराशि रू0** रू0 46.50 (रूपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या,-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया /राष्ट्रियकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गए है तो राज्यकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत धनराशि लाभार्थी इकाई/संस्था को सीधे बैंक खाते में आन्तरित की जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व नीति के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी की पात्रता के संबंध में प्रशासकीय विभाग/उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ संतुष्ट हो लेंगे।

(10) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022, 04.11.2022, 08.11.2022 एवं दिनांक 17-03-2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(12) प्रशासकीय विभाग/उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 46,50,000 (रुपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072021400 उ.प्र. स्टार्ट-अप नीति-2020 का कार्यान्वयन मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन

विशेष सचिव

संख्या-7/2024/36(1)/ 005-78-01099-55-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि रंजन

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in